2/5/24

पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित/पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 की बहस समायत की गई। प्रस्तुत वाद में संक्षेप में संशोधित तथ्य इस प्रकार हैं। मौजारोही कोटड़ा तहसील कोलायत के खसरा नं. 34/27 तादादी 80 बीघा वादीगण के पूर्वज स्व० हजारासिंह पुत्र लेवासिंह जाति जट सिख निवासी चंगालीवाला उर्फ करतारपुरा तहसील सैंगरूर की क्रम शुदा कब्जे काश्त की भूमि थी तत्पश्चात भू-प्रबंध विभाग ने नये खसरा नं० 69 तादादी 5.30 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 73 तादादी 6.78 हैक्टेयर कुल 12.08 हैक्टेयर दर्ज की जिसकी जमाबंदी संवत 2058 से 2061 तक स्व० हजारासिंह के नाम दर्ज रही हैं।

प्रतिवादी वकील द्वारा कथन किया गया कि वाद के पैरा नं. 3 में बताया गया कि मुख्त्यार नामा को विधी विरुद्ध व जाली होने के संबंध

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में वाद सिविल न्यायालय में दायर किया जाना चाहिये ना की राजस्व न्यायालय में जो कि Barred by Law है अत: उक्त वाद में प्रतिवादी वकील द्वारा अभिकथन किया गया कि मुख्यारनामा के आधार पर SaleDeed सन 2000 में हुई। जबकि दावा 2023 में पेश किया जा रहा है जो Barred by Limit है। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि मुख्त्यारनामा Null and Void है क्योंकि हजारासिंह की मृत्यु 1985 में हुई जबकि मुख्त्यारनामा सन् 2000 में बनाया गया है। अत: प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना उचित है।

प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर विचार किया गया। सर्वप्रथम परिसीमा के बिन्दु का अवलोकन किया गया। वादी ने परिसीमा के संबंध में कोई विधी सम्मत कारण स्पष्ट नही किया है। वादी पंजीबद्ध बैयनामे एवं मुख्त्यारनामा के कूटरचित होने के तथ्यो के संबंध में सिविल न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतन्त्र है।

अत: उक्त तथ्यों एवं बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/25 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर